



दिल्ली विधान सभा
Delhi Legislative Assembly

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति
Committee on Private Members Bills & Resolutions

तेरहवाँ प्रतिवेदन
Thirteenth Report

दिनांक 10 सितम्बर, 2008 को प्रस्तुत
Presented on 10th September, 2008

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054
Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054

समिति का गठन
COMPOSITION OF THE COMMITTEE

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | चौ. प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष
Ch. Prem Singh,
Hon'ble Speaker | सभापति
Chairman |
| 2. | श्री शोएब इकबाल, माननीय उपाध्यक्ष
Shri Shoaib Iqbal, Hon'ble Dy. Speaker | सदस्य
Member |
| 3. | श्री रमाकान्त गोस्वामी, मुख्य सचेतक
Shri Ramakant Goswami, Chief Whip | सदस्य
Member |
| 4. | श्री सुभाष चोपड़ा
Shri Subhash Chopra | सदस्य
Member |
| 5. | श्री जय किशन
Shri Jai Kishan | सदस्य
Member |
| 6. | श्री जिले सिंह चौहान
Shri Jile Singh Chauhan | सदस्य
Member |
| 7. | श्रीमति मीरा भारद्वाज
Smt. Meera Bhardwaj | सदस्य
Member |
| 8. | श्री रमेश बिष्टूरी
Shri Ramesh Bidhuri | सदस्य
Member |
| 9. | श्री ओ पी बब्बर
Shri O.P. Babber | सदस्य
Member |

विधान सभा सचिवालय
Assembly Secretariat:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | श्री सिद्धार्थ राव
Shri Siddharath Rao | सचिव
Secretary |
| 2 | श्री जी०एस० रावत
Shri GS Rawat | संयुक्त सचिव
Joint Secretary |
| 3 | श्री लाल मणी
Shri Lal Mani | उप सचिव (विधायी)
Deputy Secretary (Legislation) |

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054
Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन

समिति की बैठक सोमवार, 08 सितम्बर, 2008 को पूर्वाह्न 10.30 बजे माननीय अध्यक्ष का कक्ष, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 में सम्पन्न हुई।

1. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प:

समिति को सूचित किया गया कि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानि कि शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008 तक विधान सभा सचिवालय को 10 संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त हुई।

समिति को यह भी सूचित किया गया कि निम्नलिखित तीन संकल्पों को बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ है, जिन्हें गैर सरकारी सदस्यों के लिये निर्धारित कार्यदिवस शुक्रवार, 12 सितम्बर, 2008 को चर्चा के लिये लिया जायेगा:-

<u>क्र.सं.</u>	<u>सदस्य का नाम</u>	<u>संकल्प का विषय</u>
1.	श्री सुशील चौधरी	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली विधान सभा, पूर्व महानगर परिषद एवं पूर्व विधान सभा(1952-1957) के सभी निवर्तमान सदस्यों को चिकित्सा एवं यात्रा भत्ता तथा पेंशन आदि की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाए।
2.	श्री विजय जौली श्री साहब सिंह चौहान	यह सदन संकल्प करता है कि सभी अनधिकृत कालोनियों को तत्काल प्रभाव से नियमित किया जाये और उनमें विकास कार्य करवाने के लिये विधायक फण्ड के उपयोग का प्रावधान किया जाए।
3.	श्री ओ.पी.बब्बर	यह सदन संकल्प करता है कि बढ़ती हुई महंगाई एवं लागत वृद्धि को देखते हुए विधायक फंड की राशि को दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ रुपये कर दिया जाये।

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक: समिति को सूचित किया गया कि अंतिम तिथि यानिकि 29 अगस्त, 2008 तक किसी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

समिति ने श्री रमाकान्त गोस्वामी एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री ओ.पी.बब्बर को सदन में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया।

दिल्ली,
08 सितम्बर, 2008


(चौ. प्रेम सिंह)

सभापति
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों
एवं संकल्पों संबंधी समिति

**THIRTEENTH
REPORT OF THE COMMITTEE
ON
PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS**

The meeting of the committee held on 8th September, 2008 in the Chamber of Hon'ble Speaker, Old Secretariat, Delhi-54 at 10.30 P.M.

1. **Private Members Resolutions:** The Committee was apprised that 10(ten) notices of Private Members Resolutions were received by the Assembly Secretariat till the date of receipt of notices i.e., Friday the 29th August, 2008.

The Committee was also apprised that the following resolutions got priority in the balloting, which will be taken up for discussion in the House on Friday the 12th September 2008:

S.No. Name of the Hon'ble Member Text of the Resolution

1	Sh. Sushil Choudhery	“This House resolves that the Ex-members of Delhi Vidhan Sabha, erstwhile Metropolitan Council and erstwhile Vidhan Sabha (1952-57) be provided with all the facilities of Medical & Travelling Allowance and pension etc.”
2	Sh. Vijay Jolly Sh. Sahab Singh Chouhan	“This House resolves that all unauthorized colonies be regularized with immediate effect with the provision of utilization of the M.L.A. constituency development fund for the execution of development work in these colonies.”
3	Shri O.P. Babber	“This House resolves that keeping in view the rising prices and cost escalation of the M.L.A.'s constituency Development fund be enhanced from two to four crores of rupees.”

2. **Private Members Bills:** The Committee was apprised that no fresh notice of Private Members Bills has been received by the Assembly Secretariat till the last date of receipt of Notices i.e., 29th August, 2008.

The Committee authorized Shri Ramakant Goswami and in his absence Sh. O.P. Babber to present the report to the House.

Delhi
8th September, 2008



(Ch. PREM SINGH)
CHAIRMAN,
Committee on
Private Members Bills and Resolutions